न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प धोरीमना

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 51 / 2017

अपीलांटस

1. शोभाराम पुत्र सांवता
2. रामकेन पुत्र सांवता
   जाति बिश्नोई निवासी
   राणासर कलां तहसील
   धोरीमना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. हडूमान पुत्र दौला
2. सुखराम पुत्र सांवता
3. रूगनाथ पुत्र सांवता
4. ओमप्रकाश पुत्र रूगनाथ
   जाति बिश्नोई निवासी
   राणासर कलां तहसील
   धोरीमना जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार गुड़ामालानी
6. तहसीलदार धोरीमना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 19.3.2004 द्वारा नायब तहसीलदार गुड़ामालानी।

उपस्थित– 1. अपीलांटस अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेंटस संख्या 01, 03 व 04 उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 06 तहसीलदार धोरीमना उपस्थित।

आदेश

दिनांक 25.06.2018

1. संक्षेप में अपीलान्टस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 04 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा राणासर कलां के खसरा नंबर 321 रकबा 63 बीघा 03 विस्वा, खसरा नंबर 327 रकबा 0.06 बीघा व खसरा नंबर 337 रकबा 97 बीघा 12 विस्वा तथा खसरा नंबर 328 रकबा 220 बीघा 01 बिस्वा भूमि तहसील गुड़ामालानी वर्तमान तहसील धोरीमना में आई हुई है। पक्षकारान मुतवफी सांवताराम के वारीसान है तथा सांवताराम के पांच पुत्र दौला, सुखराम, शोभा, रामकेन व रूगनाथ हैं जिसका बहिस्सा बराबर खातेदारी अधिकार है। अपीलांटस द्वारा अपने हिस्से

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

में से कुछ भूमि रेस्पोडेंटस संख्या 04 को बेचान कर दी। अपीलाधीन आराजी के खसरा नंबर 328 में से रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा कुछ भूमि दूध डेयरी हेतु बेचान की गई जिसकी तरमीम हेतु सहमति देने का कहकर, अपीलांटस को धोखे में रखकर दूध डेयरी के कागजात समझकर हस्ताक्षर/अंगुष्ट निशान विभाजन प्रस्ताव पर करवाये गये। इस प्रकार रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 04 द्वारा अपीलांटस की बिना जानकारी में लाये सहमति विभाजन पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवा कर, विभाजन प्रस्ताव गलत तरीके से तैयार किये एवं नायब तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष पेश कर विभाजन आदेश दिनांक 19.3.2004 पारित करवाया गया। उक्त विभाजन आदेश का ज्ञान अपीलांटस को अर्सा 10–15 दिन पूर्व हुआ। अपीलांट ने उक्त विभाजन आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त की तब उसे इस विभाजन आदेश दिनांक 19.3.2004 की जानकारी हुई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व कोर्ट केम्प धोरीमना में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। अपीलांटस नोटिस स्वयं से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 01, 03 व 04 उपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 06 तहसीलदार धोरीमना उपस्थित।

3. रेस्पोडेंट संख्या 01, 03 व 04 का कथन हैं कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलांटस के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। सभी पक्षकारान के सहमत होने पर उनके हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाये गये एवं नायब तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष उपस्थित होकर बंटवाड़ा सही होना स्वीकार करने के बाद नायब तहसीलदार

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

गुड़ामालानी द्वारा उक्त विभाजन आदेश दिनांक 19.03.2004 पारित किया गया। विभाजन आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अपीलांटस को उक्त विभाजन आदेश की जानकारी शुरू से थी, परन्तु तत्समय इनके द्वारा कोई उजर एतराज नहीं किया गया था। अपीलांटस द्वारा अब 14 साल बाद विभाजन आदेश के विरूद्व अपील पेश की गई है, जो सारहीन एवं आधारहीन होने से निरस्त की जायें।

4. तहसीलदार धोरीमना जाहिर किया कि मौजा राणासर कलां पूर्व में तहसील गुड़ामालानी में था वर्तमान में तहसील धोरीमना में स्थित है। नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 19.3.2004 की अपीलांटस द्वारा अपील वर्ष 2017 में पेश की गई है, जो अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है। नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित विभाजन आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद होकर लट्ठाट्रेस में उक्त खसरान की तरमीम हो चुकी है। अतः अपीलांटस की अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश करने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने रेस्पोडेंटस के कथनो पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 19.03.2004 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 04 की पैतृक संयुक्त भूमि मौजा राणासर कलां के खसरा नंबर 321 रकबा 63 बीघा 03 विस्वा, खसरा नंबर 327 रकबा 0.06 बीघा व खसरा नंबर 337 रकबा 97 बीघा 12 विस्वा तथा खसरा नंबर 328 रकबा 220 बीघा 01 बिस्वा भूमि तहसील गुड़ामालानी वर्तमान तहसील धोरीमना में आई हुई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 04 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु हल्का पटवारी से नक्शा व विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये एवं नायब तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पेश किये। नायब तहसीलदार गुड़ामालानी दिनांक 19.3.2004 को द्वारा विभाजन आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 19.3.2004 के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील पेश करने की अवधि 30 दिन निर्धारित की हुई है। अपीलांटस

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

ने यह अपील नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 19.3.2004 को पारित आदेश के विरूद्व लगभग 13 वर्ष 05 माह बाद दिनांक 01.9.2017 को हमारे समक्ष पेश की है। राजस्व नियमों के अन्तर्गत हर चौथे वर्ष नई जमाबन्दी बनती है व हर वर्ष मजमें आम में जमाबंदी का पठन किया जाता है। वर्ष 2004 के बाद राज्य सरकार द्वारा कई बार राजस्व अभियान/न्याय आपके द्वार जैसे अभियान आयोजित किये गये है। हर अभियान में जमाबन्दी का पठन होता है। फिर भी अपीलांटस का यह कथन कि अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं हुआ है, मानने योग्य नहीं है। अपीलांटस को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट बताना था कि ऐसे अपीलाधीन आदेश का ज्ञान किस तारीख को, किस प्रकार से एवं किसके द्वारा किया गया। मगर अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया हैं। अपीलांटस को मियाद को क्षमा करने हेतु विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये था। मगर इस मामले में अपीलांटस मियाद को कन्डोन करने हेतु कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बता पाये है। इन सभी तथ्यो से स्पष्ट हैं कि अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान पूर्व में हो चुका था। अपीलांटस ने यह अपील काफी विलम्ब से पेश की है तथा करीब 13 वर्ष 05 माह की असाधारण अवधि को क्षमा करने हेतु कोई युक्तियुक्त आधार अपीलांटस नहीं बता पाये है। लिहाजा अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाकर नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 19.03.2004 यथावत रखा जाता है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय कोर्ट केम्प धोरीमना में आज दिनांक 25.06.2018 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)